न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र० समक्ष डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 76 / 14 वैवाहिक

दीपेन्द्रकुमार गोस्वामी पुत्र श्री प्रीतमगिरि गोस्वामी आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम नौनेरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती सन्दीपी गोस्वामी, आयु 26 वर्ष पत्नी दीपेन्द्र गोस्वामी पुत्री महेन्द्र महन्त श्री प्रेमगिरि निवासी चील घरके पीछे तुलसी कालोनी पुलिस लाइन के पास गणेशपुरा मुरैना म0प्र0

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री एन0पी0कांकर अधिवक्ता । अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय ।

//नि र्ण य// //आज दिनांक 15—10—15 को घोषित किया गया //

- 1— याचिकाकर्ता/आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जिसमें याचिकाकर्ता/आवेदक ने प्रतियाचिकाकर्ता/अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 21—1—11 को विघटित किये जाने का निवेदन करते हुये याचिका पेश की है ।
- 2— याचिकाकर्ता / आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका विवाह दिनांक 21—1—11 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था | विवाह विना किसी दान दहैज के आदर्श विवाह के रूप में हुआ था | विवाह के पश्चात् अनावेदिका विदा होकर आवेदक के यहां ग्राम नौनेरा में आई | अनावेदिका आंगनबाडी सुपरवाइजर के रूप में मुरैना में कार्यरत है इसलिये अनावेदिका को नियमित रूप से आंगनबाडी की देखरेख हेतु जाना पडता है |

अनावेदिका आवेदक के साथ विवाह के उपरान्त पत्नी के रूप में निवास नहीं कर पा रही है और आवेदक को पत्नी सुख से बंचित रखा है । इसिलये आवेदक को कोई सन्तान इतने लम्बे समय होने के उपरांत भी प्राप्त नहीं हो सकी । अनावेदिका अपनी नौकरी का वहाना लेकर आवेदक के साथ नहीं रहना चाहती है । आवेदक अनावेदिका को अपने साथ पत्नी के रूप में रखना चाहता है और वह दाम्पत्य जीवन के सभी दायित्वों का निर्वाह करने के लिये तत्पर है । उसके द्वारा कई बार अनावेदिका को मायके मुरैना से नोनेरा लाने का प्रयास किया किन्तु अनावेदिका एक दो दिन आवेदक के घर रहकर चली जाती है । उसके द्वारा इस दौरान आवेदक व उसके परिवारजन से अमानवीय व्यवहार किया ।

- आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक के अनुनय विनय पर अनावेदिका ने कहा कि वह मुरैना पृथक मकान लेकर रहे तो वह उसके साथ रह सकती है विवश होकर आवेदक ने मुरैना में किराये से मकान लेकर गृहस्थी का सभी सामान लेकर रहने की व्यवस्था की किन्तु अनावेदिका फिर भी आवेदक के साथ रहने को तैयार नहीं हुयी और आवेदक की गैर मौजूदंगी में उसे बिना बताये घर गृहस्थी का सभी सामान खुर्द बुर्द कर अपने पिता के घर पहुंच गई । आवेदक के यह कहने पर कि उसने ऐसा क्यों किया तो आवेदक की मारपीट की गयी और उसकी मारपीट कर उसे भगा दिया गया । अंतिम बार दिनांक 10 सितम्बर 2013 को अपने साथ लाने के लिये अनावेदिका के मायके गया तो अनावेदिका व उसके पिता परिवारजन ने गाली गलोज करते हुये अपमानित किया और उसे जान से मारने की धमकी दी और घर से भगा दिया तब से अनावेदिका ने पूर्णरूपेण आवेदक का परित्याग कर दिया है और वह आवेदक से पूर्ण रूपेण पृथक अपने मायके में निवास कर रही है । आवेदक के द्वारा अनावेदिका को एक रजिस्टर्ड नोटिस भी साथ में आकर रहने के लिये दिया गया किन्तु उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद आवेदिका ने पढकर उसे लेने से इन्कार कर दिया । याचिकाकर्ता ग्राम नौनेरा तहसील गोहद का ही निवासी है इस कारण न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होना बताते हुये विवाह दिनांक 21-1-11 को विघटित घोषित किये जाने और अन्य सहायता वाबत् याचिका पेश की है ।
- 4— अनावेदिका न्यायालय के द्वारा जिरये रिजस्टर्ड संमंस कई बार भेजे गये किन्तु संमंस की तामीली नहीं हुयी तद्परान्त दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से संमंस का प्रकाशन कराया गया । प्रकाशन के उपरान्त भी अनावेदिका उपस्थित नहीं हुयी है जिस कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है ।
- 5— आवेदिका / याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि:—

1-क्या अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है ?

2—क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक के प्रति कूरता कर एवं उसका परित्याग किया गया है ?

3-क्या आवेदक विवाह विच्छेद की डिक्री पाने की अधिकारी है ?

//निष्कर्ष के आधार//

- 6— अनावेदिका / गैरयाचिकाकर्ता आवेदक / याचिकाकर्ता की विवाहिता पत्नी होने के संबंध में आवेदक दीपेन्द्र कुमार गोस्वामी अ०सा०१ के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसका विवाह अनावेदिका के साथ 21—1—2011 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था । इस बिन्दु पर आवदेक साक्षी प्रीतम गिरी गोस्वामी आवेदक साक्षी कं02 जो कि आवेदक का पिता है के द्वारा भी दिनांक 21—1—11 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार उसके पुत्र आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ था और अनावेदिका उसकी पुत्र वधु हुयी । आवेदक दीपेन्द्र आवेदक साक्षी कं0 1 तथा साक्षी प्रीतम गिरी गोस्वामी आवेदक साक्षी कं0 2 का उक्त संबंध में कथन अखण्डनीय रहा है । इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होना प्रमाणित है ।
- 7— आवेदक दीपेन्द्र कुमार गोस्वामी आ०सा०१ ने अपने याचिका के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र में अभिवचनों का समर्थन करते हुये बताया है कि विवाह के बाद अनावेदिका विदा में उसके घर आयी | विवाह के उपरान्त अनावेदिका आवेदक के साथ पत्नी के रूप में निवास नहीं कर रही है और इसी कारण उनके सन्तान भी नहीं हुयी है | उसने अनावेदिका को अपने साथ रखने हेतु काफी प्रयास किया किन्तु अनावेदिका जो कि मुरैना में आंगनवाडी सुपरवायजर के रूप में कार्यरत है | उसके द्वारा यह कहते हुये कि उसे नियमित रूप से आंगनवाडी की देखरेख के लिये जाना पडता है आवेदक के साथ रहने से इन्कार कर दिया और उसे पत्नी सुख से बंचित रखा है | उसे लाने का जबभी प्रयास करता है तो वह नौकरी का वहाना बनाकर एक दो दिन रहकर चली जाती है | जब वह एक दो दिन के लिये उसके यहां रहने के लिये आती है तो उसके माता पिता व उसके साथ अमानवीय व्यवहार करती है और उन्हें प्रताडित करती है |
- 8— आवेदक ने आगे यह भी बताया है कि अनावेदिका के द्वारा यह कहा गया कि उसका तबादला मुरेना से कहीं अन्य नहीं हो सकता है उसे भी कमरा लेकर मुरेना रहने के लिये कहने लगी तो वह कमरा लेकर मुरेना रहने लगा और गृहस्थी का सामान भी जोड़ लिया । मुरेना में भी अनावेदिका उसके साथ नहीं रह रही है और उसके कमरे के सभी सामान को खुर्दबुर्द कर अपने पिता के घर रहने के लिये चली गयी । उसके कहने पर कि ऐसा क्यों किया तो उसे मारपीट कर भगा दिया । उसके बाद अनावेदिका ने शादी के उपरान्त से वैवाहिक सुखों से बंचित कर रखा है और उसे काफी परेशान व प्रताडित कर रही है । दिनांक

10—9—13 को भी वह अनावेदिका को अपने साथ लाने के लिये मायके गया तो उसके परिवार वालों ने उसे गाली गलोच कर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी देकर उसे भगा दिया और उसका परित्याग कर दिया तथा वह अपने मायके में ही रह रही है | अभिभाषक के जरिये नोटिस भेजा गया उसको भी उसने लेने से इन्कार कर दिया |

- 9— आवेदक के द्वारा किये गये उपरोक्त कथन का समर्थन अन्य साक्षी प्रीतम गिरी गोस्वामी साक्षी कं02 के कथनों से भी होती है जो कि आवेदक का पिता है । उक्त साक्षी के द्वारा भी आवेदक के कथनों का समर्थन करते हुये अनावेदिका के द्वारा आवेदक के विवाह उपरान्त से ही पत्नी सुख से बंचित रखना और उसके साथ रहने से इन्कार करना तथा आवेदिका के द्वारा उसे एवं उसके पुत्र को धमकी देना और गाली गलोच करना और उनके यहां रहने को तैयार न होना तथा मायके में ही रहना बताया है ।
- 10— प्रकरण में आवेदक दीपेन्द्र कुमार गोस्वामी तथा उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षी प्रीतमिगरी गोस्वामी अ0सा02 के कथन का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है | इस प्रकार उक्त साक्षीगण के द्वारा इस संबंध में किये गये कथन अखण्डनीय रहे हैं | उक्त साक्षीगण के कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं है |
- 11— आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अखण्डनीय साक्ष्य के आधार पर जबिक अनावेदिका के द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब भी पेश नहीं किया गया है । याचिकाकर्ता/आवेदक जिसका विवाह अनावेदिका के साथ दिनांक 21—1—2011 को हुआ था । अनावेदिका के द्वारा अपने पित आवेदक के साथ रहने व दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं किया जा रहा है और उसके द्वारा आवेदक के साथ कूरता का व्यवहार भी किया जा रहा है जो कि उसके द्वारा आवेदक को दाम्पत्य सुखों से बंचित रखकर उसे एवं उसके परिवारवालों से र्वृव्यवहार कर उसके प्रति कूरता की जा रही है । इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनावेदिका के साथ रह पाना संभव नहीं है ।
- 12— इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जो कि अखण्डनीय रही है । जिसमें आवेदक एवं उसके साक्षियों के द्वारा स्पष्ट तौर से अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ न रहना और उसे पत्नी सुख से बंचित रखे जाने की संपुष्टि होती है । ऐसी दशा में आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका के आधार पर जबिक अनावेदिका के द्वारा कोई प्रतिखण्डन नहीं किया गया है, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों में एवं प्रकृति को देखते हुये एक पक्षीय रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा आवेदक की याचिका को स्वीकार करते हुये निम्न आशय की आज्ञिप्त पारित की जाती है :—

1—आवेदक और अनावेदिका के मध्य दिनांक 21—1—11 को सम्पन्न हुआ विवाह को खिण्डत घोषित किया जाता है ।

2—प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में आवेदक अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेगा । 3—अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगा । तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाय ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

(डी०सी०थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र० (डी०सी०थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०